

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
जमवारामगढ जिला जयपुर (राज0)

फर्द अहकाम

क्रमांक ३०१/२०२२ बनाम धूमरा चन्द वगेरहा

प्रार्थना पत्र संख्या १३ / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
31/3/2022	यह प्रकरण प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत पत्रावली का अवलोकन सहित दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादी किया जाकर पत्रावली सुनवाई हेतु दिनांक 8/4/22 को पेश हो।
08/04/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त पत्रावली पूर्वानुसार वास्तु तलबी/जमाव दिनांक 29/04/22 को पेश।
29/4/22	<p>आज्ञा पत्र क्र. १३/२०२२ निर्माणवादी द्वारा जमाव के ली गई। पूर्वानुसार तलबी दिनांक 10/5/22 को पेश हो।</p>
10/5/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपरोक्त। अधिष्ठी सं. 1 व 2 की तलबी रजिस्टर्ड डाक द्वारा दिनांक 02/04/2022 को कराई गई। इनके बारे-बारे आवाजें लंबावाई गई किन्तु अधिष्ठी नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करना में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। बहस सुनाने व पत्रावली का अवलोकन करने पर उक्त अधिष्ठा पत्र अधिष्ठी द्वारा 128 एलएलएल के तलबी</p>

31/3/22
1466-67
01-4-22

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

आर्चना पत्र सं०- 43/2022

अंबरीदेवी वनाज पुनमचन्द वर्मा

किया जाता है तथा वादगत भूमि खण्ड-
287/292 रकबा 1.2645 हे० गम मनोता
तहसील जयवारागढ़ जिला जयपुर पर किरी
आयालय का खण्ड क्रि० नं० हो
ते तहसील जयवारागढ़ को क्रि०
दि० जाते है कि इक्त भूमि का
जिम्मागुलार शुल्क जमा कर दोनो पक्षों
को मॉड्युपनी में सीमाज्ञान कर पट्टागही
करना सुनिश्चित करें।

क्रि० नं० की प्रति तहसील जयवारागढ़
को पालनाथ हेतु भिजवाई जाये।

पत्रावली क्रि० नं० शुक्र होकर जम्मर
से कर हो वाद इतने दारीकल खप्टर हो।

दि० आज दि० 10/05/2022 को
शुल्क आयालय जयपुर बापा।


उपखण्ड अधिकारी
जयवारागढ़